22.11.24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी व वादीगण के नाम से अलग - अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं है।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हो।

22/11/24
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.05 11:33:23 IST
Reason: SelfAttested